प्रेस नोट **03/06/2025**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹14,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 03-06-2025 को मु0अ0सं0 1309/2010 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त जावेद काजमी पुत्र रफ़ीक काज़मी निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹14,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

गुमशुदा/खोए कुल 04 मोबाइल फोन लगभग 70,800 (सत्तर हजार आठ सौ) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा गुमशुदा 03 मोबाइलों लगभग 35,800 (पैतीस हजार आठ सौ) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिसमें अमरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर, समीरा सिंह पुत्री मनोज कुमार सिंह निवासी थाना नगरा जनपद बलिया, गुड्डी देवी पत्नी रविन्द्र यादव निवासी पिजडा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ व थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा 01 मोबाइल फोन लगभग 35000 (पैतीस हजार) रुपये कीमती आवेदक सत्यम गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता साकिन भगवानपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ आवेदको द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी/थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय साइबर टीम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.06.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता जमुनी देवी पत्नी सरवन निवासी चकिया थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जिलाबदर घोषित अपराधी किया गया जिले से बाहर–

अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा श्रीमान् जिलामजिस्ट्रेट महोदय के आदेश वाद संख्या 159/2025 सरकार बनाम करण चौहान पुत्र रामचंन्द्र चौहान तथा वाद संख्या 160/2025 सरकार बनाम दिलीप यादव पुत्र लक्ष्मण यादव निवासीगण मारखा मझौली थाना हलधरपुर जनपद मऊ के विरूद्ध 06 माह जिलाबदर आदेश के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जनपद मऊ की सीमा के बाहर किया गया।

अपराधी का विवरण–

1. करण चौहान पुत्र रामचंन्द्र चौहान निवासी मारखा मझौली थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. दिलीप यादव पुत्र लक्ष्मण यादव निवासी मारखा मझौली थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

जिलाबदर करने वाली थाना हलधरपुर पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा।
2. उ0नि0 श्यामजी यादव।
3. हे0का0 शैलेष यादव।
4. का0 अज्जू।
5. का0 मनू कुमार।
6. का0 दीपक।
7. चा0का0 शिशिर सिंह।

अपराधिक इतिहास-

1 करण चौहान पुत्र रामचंन्द्र चौहान-

1.मु0अ0स0 203/18 धारा 323,504,506 भा0द0वि0

2.म0अ0स0 284/21 धारा 323,504,506 भा0द0वि0

3.मु0अ0स0 269/22 धारा 34,147,148,302 भा0द0वि0

4.मु0अ0स0 350/22 धारा 2/3(2) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट

5.मु0अ0स0 289/24 धारा 115(2),351(2),352,324(4),110 बी0एन0एस0

2 दिलीप यादव पुत्र लक्ष्मण यादव -

1.मु0अ0स0 203/18 धारा 323,504,506 भा0द0वि0

2.म0अ0स0 284/21 धारा 323,504,506 भा0द0वि0

3.मु0अ0स0 269/22 धारा 34,147,148,302 भा0द0वि0

4.मु0अ0स0 350/22 धारा 2/3(2) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट

5.मु0अ0स0 289/24 धारा 115(2),351(2),352,324(4),110 बी0एन0एस0

6.मु0अ0स0 141/23 धारा 504,506 भा0द0वि0